न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 120/15
(जीसीएमएस संख्या 2015/00189)

निर्णय दिनांकः– 07-08-2022

1. बजरंगदास पुत्र अमरदास जाति साघ निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. सुखदास पुत्र अमरदास जाति साघ निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–12–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री मदनमोहन रंगा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 11–12–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता को चक 3 आरएम के मुरब्बा नम्बर 159/6 की 24 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 159/14 के किला नम्बर 1 ता 15 तादादी 15 बीघा इस प्रकार कुल 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट के पिता को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया तथा सेल रजिस्टर में अपीलांट् के पिता का नाम इन्द्राज करते हुए खाता खोला गया। इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के पिता का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट के पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–12–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 16–12–15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट के पिता का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–12–2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16–12–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट के पिता ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पिता को चक 3 आरएम के मुरब्बा नम्बर 159/6 की 24 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 159/14 के किला नम्बर 1 ता 15 तादादी 15 बीघा इस प्रकार कुल 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि का कब्जा लेकर स्वयं मौके पर आबाद होकर काश्त नहीं करने के फलस्वरूप अपीलांट् का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है।

(3) इस संबंध में हमने पत्रावली में न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् के पिता को पूर्व में चक आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति छतरसिंह पुत्र बुध सिंह को आवंटित होने की दशा में पूर्व आवंटन को निरस्त करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 3 आरएम के मुरब्बा नम्बर 159/6

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की 24 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 159/14 के किला नम्बर 1 ता 15 तादादी 15 बीघा इस प्रकार कुल 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन वर्ष 1988 में किया गया।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत वादग्रस्त भूमि के आवंटन दिनांक 23–02–1988 के पश्चात् आगामी 12 वर्षो में कब्जा प्राप्त नहीं करने की दशा में आवंटन आदेश की अनुपालना में वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है तथा अदालत मातहत द्वारा आवंटन शर्तो के अनुसरण में अपीलांट् का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने के उपरान्त अपीलांट् के पिता को आवंटित भूमि अन्य दिगर व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई है। उल्लेखनीय यह भी है कि अपीलांट् के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाधीन आदेश के विरूद्व किसी प्रकार की कोई चाराजोई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पिता का आवंटन कब्जे के अभाव में विधि सम्मत तरीके से निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 11–12–2000 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3/8/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/8/2022

([illegible])
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर